यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/116/2018 **दिनांक :** 13.10.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ वेतन पुनरीक्षण वार्ता

आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य वेतन पुनरीक्षण वार्ता का एक और दौर आज मुम्बई में सम्पन्न हुआ। हम इस विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 28/80/2018/43 दिनांक 13.10.2018 का अनूदित सार अपनी इकाईओं तथा सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ वेतन पुनरीक्षण वार्ता

यूएफबीयू परिपत्र : ''वेतन पुनरीक्षण के लिए हमारी माँगों पर आज मुम्बई में आईबीए तथा यूएफबीयू के मध्य द्विपक्षीय वार्ता का एक और दौर हुआ। आईबीए की टीम का नेतृत्व यूको बैंक के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नेगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन श्री आर.के. टक्कर द्वारा किया गया। यूएफबीयू का प्रतिनिधित्व हमारी 9 घटक यूनियनों द्वारा किया गया था।

29.09.2018 को आयोजित बैठक के अन्तिम दौर में हुई चर्चाओं को जारी रखते हुए, आईबीए भुगतान क्षमता के आधार पर बैंकवार वेतन पुनरीक्षण का निर्णय करने के लिए पिछली बैठक में दिए गए अपने प्रस्ताव पर हमारी प्रतिक्रिया जानना चाहता था जिसका प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बैंक के परिचालन लाभ और आस्तियों पर प्रतिफल पर आधारित सूत्र के माध्यम से निर्धारण किया जाना है।

जवाब में, यूएफबीयू की ओर से हमने कहा कि बैंकों के अलग–अलग प्रदर्शन के दौरान प्रत्येक बैंक में कर्मचारियों और अधिकारियों को भुगतान करने के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन राशि तैयार करने का आधार हो सकता है, यह वेतन पुनरीक्षण अभ्यास से अलग एक अलग मुद्दा हो सकता है।

हमारी ओर से, हमने यूएफबीयू के निम्नलिखित दृष्टिकोणों को दोहराया और बल दिया :

1. **पारस्परिक स्वीकार्य वेतन समझौता तैयार करने के लिए आईबीए के 6% के पूर्व प्रस्ताव में काफी हद तक सुधार किया जाना चाहिए।**

जारी पृष्ठ 2

2. **व्यक्तिगत बैंक के बैंकवार परिचालन लाभ और आस्तियों पर प्रतिफल से वेतन पुनरीक्षण को जोड़ने का आईबीए का प्रस्ताव है और इस तरह समान कार्य के लिए समान वेतन की मौजूदा प्रणाली को तोड़ना यूएफबीयू को स्वीकार्य नहीं है।**

3. **एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया और इण्डियन बैंक द्वारा दिए गए प्रतिबंधित अधिकार पत्र के मुद्दे पर पुर्नविचार किया जाना चाहिए और अधिकारियों के सभी स्केल को शामिल किया जाना चाहिए।**

आईबीए से उन्होंने बार–बार तर्क दिया और परिचालन लाभ के आधार पर भुगतान क्षमता के अनुसार बैंकवार वेतन पुनरीक्षण के सूत्र को स्वीकार करने की वकालत और अनुरोध किया और आगे कहा कि उनके प्रस्तावित सूत्र को आगे के विचार–विमर्श द्वारा बदला और संशोधित किया जा सकता है लेकिन अपने निर्णय पर बने रहे कि वेतन पुनरीक्षण विभिन्न बैंकों की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए वे यूएफबीयू से सुझाव चाहते थे।

हमने जवाब दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में एकरूप वेतन 1948 (सेन अवार्ड) से शुरू होकर दशकों में विकसित हुआ है और वेतन पुनरीक्षण अब तक किसी भी बैंक में प्रमुख समस्या नहीं रहा है, यहां तक कि वे कठिन समय से भी गुजर चुके हैं। हमने यह भी इंगित किया कि बैंकों के कुल परिचालन व्यय के अनुपात के रूप में वेतन लागत में हाल के वर्षों में वास्तव में गिरावट आई है और इसलिए आईबीए का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है।

हमने आईबीए से उनके प्रस्ताव पर फिर से विचार करने एवं उनके प्रस्ताव को 6% से पर्याप्त स्तर तक बढ़ाने के लिए आगे आने तथा सभी बैंकों को समान रूप से भुगतान करने का अनुरोध किया है। हमने आईबीए को अपनी सोच के बारे में बता दिया कि यदि व्यक्तिगत बैंकों के परिचालन लाभ के आधार पर बैंकवार वेतन पुनरीक्षण पर जोर देकर वेतन पुनरीक्षण को इस तरह से लटकाया जायेगा, तो यह कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा विरोध और फलस्वरूप आंदोलन का कारण बन जायेगा। आईबीए चर्चा के अगले दौर में मुद्दे पर आगे बातचीत के लिए सहमत हो गया और यूनियनों से अनुरोध किया कि उनके प्रस्ताव पर खुला दिमाग रखें।

साथियों, ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकवार वेतन पुनरीक्षण को थोपकर घड़ी को उल्टा घुमाने के बैंकरों और सरकार की ओर से प्रयास हैं तथा हमारी एकता और बंधुता को कमजोर करके कार्यबल को विभाजित करने के प्रयास हैं। एक उचित और सहनीय वेतन पुनरीक्षण के लिए हमारी मांग मुद्रास्फीति, जीवन–यापन लागत और कार्य के दबाव के वर्तमान स्तर तथा बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की जॉब प्रोफाइल पर आधारित है और इसलिए इससे समझौता नहीं किया जा सकता है। जबकि हम अपनी मांगों का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए अत्यंत धैर्य और संयम के साथ इस मुद्दे से निपट रहे हैं, हमारी यूनियनों और सदस्यों को इस मुद्दे पर एक संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए यदि वे समस्या को और अधिक लम्बित करना चाहते हैं और हमारी मांगों के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए आगे नहीं आते हैं।

हम उचित समय में आगामी प्रगति के बारे में हमारे सदस्यों को सूचित करेंगे। इस बीच, हमारे सदस्यों को विभिन्न उत्तेजक संदेशों द्वारा गुमराह न होने की चेतावनी दी जाती है जिन्हें विरोधी ताकतों द्वारा सोशल मीडिया में जानबूझकर फैलाया जाता है।

ह0... संजीव के बंदलीश, संयोजक''

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री